रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D.N.)—73

CA 25/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 28, 1985/पौष 7, 1907
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 1985/PAUSA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1985

सा. का. नि. 1177:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग (ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1970 को, जहां तक इनका संबंध ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, योजना आयोग में ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग (ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

Educational and other qualifications required for direct recruitments	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and % of vacancy to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
(i)(a) Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board; and (b) Diploma in Medical Laboratory Technology from a recognised Institute (2 years course) with one year experience; OR (ii) A degree in science of a recognised University. Note : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	1. Senior physician/ Senior Surgeon —Chairman 2. Deputy Medical Superintendent—Member 3. Head of the concerned Department—Member 4. Chief Administrative Officer —Member	Not applicable.

[No. A-12018/72/85-R.R. (MS)]

KUM. SHOBHANA SUBRAMANIAN, Under Secy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1985

सा०का०नि० 1187.---राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी के सिविल सन्निर्माण पक्ष में समूह ग पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी सिविल इंजीनियरी/स्थापत्य (समूह ग पद) भर्ती नियम 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना — ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर प्रतिनियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

8. निर्वचन :—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जायेगा।

9. निरसन:— आकाशवाणी, सिविल इंजीनियरी स्थापत्य (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1975 को, जहां तक उनका संबंध उन पदों से है, जिनको यह नियम लागू होते हैं, निरसित किया जाता है :

परन्तु यह कि ऐसे निरसन से पहले उक्त नियमों के अधीन से ऐसे निरसन से पहले उक्त नियमों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत्) (अनुभागीय अधिकारी)	76 (छिहत्तर)* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु०	लागू नहीं होता	18—25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये उच्चतर आयु-सीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	नहीं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विद्युत इंजीनियरी मे डिप्लोमा	लागू नही होता।	सीधी भर्ती के लिये 2 वर्ष

टिप्पण 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा मे संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियो की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध नही हो सकेंगे।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
11	12
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारो के अधीन ऐसे अधिकारी, जो सदृश पद धारण किये हु , या जिन्होंने 330-560 रु० के वेतनमान वाले पदो पर 5 वर्ष सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये विहित अर्हताएं हैं (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जसके अन्तर्गत उसी संगठन मे इस प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष अधिक नही होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
13	14
(सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के प्रयोजनों के लिये) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। (1) अधीक्षण इंजीनियर--अध्यक्ष (2) कार्यपालक इंजीनियर (सी)--सदस्य	लागू नही होता।

1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) (अनुभागीय अधिकारी)	326 (तीन सौ छब्बीस)* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु०	लागू नहीं होता	18—25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशो के अनुसार सरकारी सेवको के लिये उच्चतर आयु-सीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, भारत मे रहने वाले अभ्यर्थियो से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप मे हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

8	9	10
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये 2 वर्ष

11	12
शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी, जो सदृश पद धारण किये हुए हैं या जिन्होंने 330-560 रु के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हता है (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन में इस प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13	14
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अधीक्षण, इंजीनियर (सी)—अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर (सी)—सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
नक्शानवीस श्रेणी 3 (ट्रेसर)	42 (बयालीस)* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	260-8-300-द.रो.-8-340-10-380-द.रो.-10-430 रु.	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए उच्चतम आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त संस्था से नक्शानवीसी (सिविल विद्युत यांत्रिक) में 6 मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित कम से कम दो वर्ष की अवधि वाला प्रमाणपत्र	आयु : नहीं अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

11	12
90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे फेरो मुद्रक, जिन्होंने उस श्रेणी मे 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध मे विभागीय प्रोन्नति समिति जो -- (1) अधीक्षण इंजीनियर (सी) अध्यक्ष (2) कार्यपालक इंजीनियर (सी) सदस्य	लागू नही होता।

1	2	3	4	5	6	7
फेरो मुद्रक	10(दस)* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	225-5-260-6-290-द रो-6-308 रु.	लागू नही होता	18--25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत मे अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नही

8	9	10
1 मैट्रिकुलेट या समतुल्य अर्हता 2 फेरो-फ्रेमों, फेरो-मुद्रण और रेखण मशीनों की कार्य-प्रणाली का पूर्ण ज्ञान। 3 सुग्राही कागज और उभरे अमोनिया गैस प्रिंटों के लिए रासायनिक घोल तैयार करने की योग्यता। 4 फेरो मशीन प्रचालित करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।	नहीं	2 वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
पुष्टि के संबंध मे विभागीय प्रोन्नति समिति -- 1 अधीक्षण इंजीनियर (सी) अध्यक्ष 2 कार्यपालक इंजीनियर (सी) सदस्य	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
स्थापत्य सहायक श्रेणी-2	36 [illegible]* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	425-15-500-द.रो.-15-560-20-700 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

8	9	10
पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रम स्थापत्य कला (मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) में इंटरमीडिएट या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का स्थापत्य सहायकी में तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	नहीं	2 वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	सभी विद्यमान नक्शानवीस श्रेणी 2 को इस श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा।

13	14
(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. ज्येष्ठ वास्तुविद्—अध्यक्ष 2. वास्तुविद्—सदस्य (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति:— 1. ज्येष्ठ वास्तुविद्—अध्यक्ष 2. वास्तुविद्—सदस्य	लागू नहीं होता

[संख्या 310/12/83-ऐ (डी)]

एम. के. रामस्वामी निदेशक (आकाशवाणी)

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 12th December, 1985

G.S.R. 1187.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group C posts in the Civil Construction Wing of All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may called the All India Radio Civil Engineering|Architectural (Group C Posts) Recruitment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number and classification of the posts and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3, 4 and 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns 6 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. Interpretation.—If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

9. Repeal.—The All India Radio, Civil Engineering|Architectural (Class III Posts) Recruitment Rules, 1975, insofar as they relate to posts to which these rules apply are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken under the said rules before such repeal.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit for added years service admissible under rule 30 of C.C.S (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Junior Engineer (Electrical) (Sectional Officer)	76* (1985) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	425-15 500-EB 16-560-20-700.	Not applicable	18—25 years (The upper age limit relaxable for Govt. servant up-to 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep)	No

Educational other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Diploma in Electrical Engineering from any Institute recognised by the Central Govt. Note: 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	2 years for direct recruits.	100% by direct recruitment failing which by transfer on deputation.

8
Note: 2 The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation: Officers of the Central/State Government holding analogous posts or with 5 years service in posts in the scale of Rs. 330-560 and possessing qualifications prescribed for direct recruits (period of deputation including the period of deputation in another post in the same organisation immediately preceding this deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee for purposes of Confirmation of direct recruits: Superintending Engineer— Chairman Executive Engineer(C) —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Junior Engineer (Civil) (Sectional Officer)	326* (Three hundred twenty six) (1985) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service group 'C' Non-Gzaetted, Non-Ministerial.	425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not applicable	18—25 years (The upper age limit relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instruction issued by the Central Govt. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	No

8	9	10	11
Diploma in Civil Engineering from any Institute recognised by the Central Government	Not applicable	2 years for direct recruits.	100% by direct recruitment failing which by transfer on deputation.

12	13	14
Transfer on deputation: Officers of the Central/State Government holding an analogous post or with 5 years service in posts in the scale of Rs. 330-560 and possessing qualification prescribed for direct recruits (period of deputation including the period of deputation in another post in the same organisation immediately preceding this deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation: Superintending Engineer(C) —Chairmen Executive Engineer (C) —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Draftsman Grade-III (Tracer)	42*(Forty two) (1985) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	260-8-300-EB-8-340-10 380-EB-10-430.	Non-Selection	18—25 years (The upper age limit relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction issued by the Central Govt.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep)	No.

8	9	10	11
Certificate in Draftsmanship (Civil/Electrical/Mechanical) from a recognised Institution of not less than 2 years duration including practical training of six months.	Age : No. Qualifications : Yes	2 years for direct recruits	90% by direct recruitment and 10% by promotion, failing which by direct recruitment.

12	13	14
Ferro-Printers with 5 years regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee for promotion/confirmation 1. Superintending Engineer (C)—Chairman 2. Executive Engineer (C)—Member	Not applicanle

1	2	3	4	5	6	7
Ferro-Printer	10(Ten) (1985) * *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Not applicable	18-25 years. (The upper age limit relaxable for Govt. servant upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.) Note:The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Island and Laksadweep).	No

8	9	10	11
1. Matriculate or eqiuivalent qualification. 2. Thorough knowledge of working of ferro-frames, ferro-printing and drawing machines. 3. Ability to prepare chemical solution for sensitising paper and develop ammonia gas prints. 4. At least 2 years experience of operating ferro machines.	No.	2 years	By direct rectt.

12	13	14
Not applicable	Departmental Promotion Committee for confirmation 1. Superintending Engineer (C)—Chairman 2. Executive Engineer (C)—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Architectural Assistant Grade-II	36* (Thirty Six) (1985) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Not applicable	18 to 25 years (Upper age limit relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.) Note : Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	No

8	9	10	11
Intermediate in Architecture (Recognised Course) of a full time degree couse or equivalent or a 3 years full time diploma course in Architectural Assistantship of a recognised Institute.	No	2 years	By direct recruitment.

12	13	14
Existing Draftsman Grade-II. Will en-block be absorbed in the grade.	Group 'C' D.P.C. (for consideration for promotion) Senior Architect : Chairman Architect—Member Group 'C' D.P.C. (for consideration for confirmation) 1. Senior Architect—Chairman 2. Architect—Member	Not applicable

[No. 310/12/83-B(D)]

M.K. RAMASWAMY, Director (AIR)

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1985

सा. का. नि. 1188:—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) के तहत विशाखापतनम पोर्ट के न्यासी मंडल द्वारा विशाखापतनम पत्तन न्यास (पत्तन शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया) अधिनियम, 1974 के मद (6) में संशोधन का अनुमोदन करती है। इसका प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के तहत यथाअपेक्षित आंध्र प्रदेश राजपत्र नियम विशेषांक के भाग II में 29 अगस्त, 1985 और 5 सितम्बर, 1985 को हुआ था।

[सं. पी. डब्ल्यु/पी. जी. एल-30/84)]

थॉमस मैथ्यू, अवर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Ports Wing)

New Delhi, the 10th December, 1985

G.S.R. 1188.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the amendment to item (vi) of the Visakhapatnam Port Trust (Mode of Payment of Port Charges) Regulations, 1974 made by the Board of Trustees of the Visakhapatnam Port under sub-section (1) of section 123 of the said Act and published in the Andhra Pradesh Gazette Rules Supplement to Part II, dated 29th August, 1955 and 5th September, 1985 as required under sub-section (2) of section 124 of the said Act.

[No. PW/PGL-30/84]

THOMAS MATHEW, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER